हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

बुधवार, 1 मार्च, 2017/10 फाल्गुन, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ।

12.30 बजे (अपराह्न)

1. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, बुधवार, 1 मार्च, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे ः

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1);

2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 2); और
3. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2017 का अधिनियम संख्यांक 3) ।

3. अध्यादेशः

श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 31.01.2017 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

4. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-2017 का प्रस्तुतीकरणः-

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अन्तिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 28 फरवरी, 2017 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)